तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोतीसिंह वगै० बनाम राज सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो।	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 4/8/25 को पेश हो।	
4/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/8/25 को पेश हो।	
19/08/2025	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 28/08/2025 को पेश हो।	
28/08/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 29/08/25 को पेश हो।	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— ~~36/2024~~ 34/2023

1. मोती सिंह पुत्र बिन्दाबन
2. विजय सिंह
3. फतेहसिंह पुत्रान करनसिंह
4. कमलेश
5. राजवती
6. लज्जादेवी पुत्रीयान करनसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये

1. तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—29.08.2025**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 869 रकवा 0.10है0 ग्राम नगला बीजा तहसील उच्चैन में स्थित है जिसके प्रार्थीगण रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के मुताबिक सहखातेदारान है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 869 का साबिक खसरा नम्बर 819 रकवा 12 विस्वा है। उक्त आराजी हाल ख0नं0 869 उच्चैन बयाना मुख्य सडक से ग्राम नगला बीजा को गुजरने वाले लिंक आम रास्ता(वर्तमान में पक्की सडक) से तरफ उत्तर को चपेटा लगी हुयी है जिसके आकार की लम्बाई उत्तर—दक्षिण है तथा चौडाई पूर्व—पश्चिम है तथा पुराने राजस्व नक्शा में इसी आकृति के 0.12विस्वा रकवा पर प्रार्थीगण की आराजी का साबिक ख0नं0 819 प्रदर्शित है और प्रार्थीगण पुराने नक्शा के अनुसार ही इस लिंक रोड से तरफ उत्तर को चपेटा लगे रकवा पर ताहाल आज तक काबिजान है। दौराने सैटिलमेन्ट सन् 2005 प्रार्थीगण की उक्त आराजी का साबिक ख0नं0 819 का हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

नम्बर 869 बनाया गया है जिसको सैटिलमेन्ट कर्मियों ने नये राजस्व नक्शा में पूर्व के स्थान की बजाय लिंक रोड के रकवा में गलत प्रदर्शित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण की आराजी का यह हाल ख0नं0 869 भी नक्शा में इस लिंक रोड के तरफ उत्तर में चपेटा स्थित प्रार्थीगण की आराजी के साबिक ख0नं0 819 के रकवा पर ही प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। प्रार्थीगण आज भी पुराने नक्शा अनुसार इस लिंक रोड से तरफ उत्तर को चपेटा लगे साबिक ख0नं0 819 से प्रदर्शित रकवा पर काबिज है। नये नक्शा में प्रार्थीगण की आराजी का यह रकवा लिंक रोड के रकवा पर गलत प्रदर्शित है और यह रकवा आम रास्ता का है। जिसमें वर्तमान में मौके पर पक्की सडक बनी हुई है। नक्शा की उक्त अशुद्धि सैटिलमेंन्ट कर्मचारियों की एक सहवन मानवीय भूल और अशुद्धि है जिसके कायम रहने से प्रार्थीगण की शख्त हक तलफी होती है और भविष्य में प्रार्थीगण मुकदमेबाजी में पड जायेंगे इसलिए न्यायहित में नक्शा की उक्त अशुद्धि को शुद्ध कराया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की हाल ख0नं0 869 को नक्शा में साविक ख0नं0 819 के स्थान पर सडक के तरफ उत्तर को स्थित पूर्व के रकवा पर प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सैटलमेंन्ट के नक्शे में मौके अनुसार शुद्धि कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 869 मोतीसिंह पुत्र विन्दावन हि. 1/2 जाति जाट सा. देह वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि खसरा नम्बर 868 रकवा 0.11है0 किस्म गै.मु.रास्ता राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 869 रकवा 0.10है0 बाके ग्राम नगला बीजा को वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया गया है। खसरा नम्बर 868 गै.मु.रास्ता एवं ख.नं. 869 खातेदारी के खसरा नम्बर आपस में बदलकर दर्ज हुए है। जबकि मुताबिक मौका के खसरा नम्बर 868 के स्थान पर 869 एवं खसरा नं0 869 के स्थान पर 868 दर्ज होना चाहिए था।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 819 रकवा 12 विस्वा है दौराने सैटलमेंन्ट सन् 2005 प्रार्थीगण की उक्त आराजी का साबिक ख0नं0 819 का हाल खसरा नम्बर 869 बनाया गया है जिसको सैटिलमेन्ट कर्मियों ने नये राजस्व नक्शा में पूर्व के स्थान की बजाय लिंक रोड के रकवा में गलत प्रदर्शित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण की आराजी का यह हाल ख0नं0 869 भी नक्शा में इस लिंक रोड के तरफ उत्तर में चपेटा स्थित प्रार्थीगण की आराजी के साबिक ख0नं0 819 के रकवा पर ही प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सैटलमेंन्ट के नक्शे में मौके अनुसार शुद्धि कराये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रभावित खसरा 868 का ना तो हाल नक्शा पेश किया है ना ही खसरा नम्बर 868 के साविक खसरा नम्बर का नक्शा पेश किया जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि खसरा नम्बर 868 पूर्व में किस स्थान पर था एवं खसरा नम्बर 868 की कोई जमाबंदी भी उक्त प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

के साथ पेश नहीं की है जिससे प्रभावित होने वाले खातेदारान के सम्बन्ध में भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर